न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0प्र0

प्र.क्रं./ निग -3442- 2016 सन् 2016

मनका तनय सुम्मेरा कोंदर

निवासी बरकोंहा तहसील व जिला छतरपुर

तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. हाल निवास कुंदरपुरा (टिकुरी)

तह0 राजनगर जिला छतपुर म.प्र. ---------- **आवेदक**

बनाम

शासन म0प्र0 ----------**अनावेदक**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1957

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय

छतरपुर के प्रकरण कंमाक 23/अ–21/15–16

आदेश दिनांक 28.7.2016

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न विनय पेश है।

1– यह कि भूमि खसरा नं. 1326/4 रकवा 1.571 है0 स्थित मौजा बरकौंहा तह0 व जिला छतरपुर की भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का पट्टा आवेदक को वर्ष 1976–77 से 1986–87 तक के लिये म0प्र0शासन से वास्ते कृषि कार्य हेतु प्राप्त हुआ था जिसमे उसको भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

2– यह कि उक्त भूमि ऊबड़–खाबड़ व पथरीली है जिससे उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था जिस कारण वह लम्बे समय से स्थायी रूप से ग्राम कुंदरपुरा(टिकुरी) तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 मे परिवार सहित निवास करता है। जो ग्राम बरकोंहा से 60 कि.मी. की दूरी पर है।

3– यह कि अन्य गॉव मे निवास होने के कारण आवेदक व उसके परिवार ग्राम बरकौहा नहीं आ पाता है जिस कारण उक्त भूमि के विक्रय करके प्राप्त प्रतिफल से वर्तमान निवास मे परिवार के हितों को ध्यान मे रखकर अन्य कृषि भूमि अथवा कोई धंधा आदि करना चाहता है।

4– यह कि उपरोक्त स्थिति मे आवेदक के द्वारा पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त होने के कारण घरेलू आवश्यक हितों को देखते हुये उक्त भूमि वास्ते विक्रय हेतु अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालय मे प्रकरण कं. 23/अ–21/15–16 पेश किया था जिसे दिनांक 28.7.2016

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-3442-एक/ 2016 जिला-छतरपुर

मनका विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला- छतरपुर के प्रकरण क्रमांक-23/अ-21/2015-16 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 28-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

28/01/19

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 28/01/19
सदस्य